(वाद संख्या–997/4/11/2020)

19.01.2022

प्रसंगाधीन मामला, परिवादी, गोपाल शंकर सिन्हा, प्रहरी, क्षेत्रीय कार्यालय विस्कोमान, गया के दिनांक–31.01.2013 को सेवानिवृत होने के उपरांत अब तक उपादान की राशि का भुगतान न किये जाने से संबंधित है।

उक्त पर प्रबंध निदेशक, विस्कोमान, पटना से प्रतिवेदन की मांग की गयी। प्रबंध निदेशक, विस्कोमान, पटना के प्रतिवेदनानुसार ‘‘बिस्कोमान के कर्मिकों की सेवानिवृत एवं अन्य भुगतान से संबंधित एक बहुत बड़ी राशि की देनदारी विगत कई वर्षों से बनी हुई है जिसके भुगतान के संदर्भ में बिस्कोमान की वर्त्तमान आर्थिक एवं जर्जर स्थिति के कारण सभी कार्मिकों का सेवांत लाभ भुगतान करने में कठिनाई बनी रहती है, जिस क्रम में समय–समय पर माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा LPA 779/17, LPA 1108/18, M.J.C.3691/13, M.J.C. 3084/2015, M.J.C. 4060/2014 or M.J.C. 3271/2016, M.J.C.1520/2015, M.J.C.2815/2015, M.J.C. 2885/2017, में पारित आदेशों के द्वारा संबंधित कर्मिकों को क्रमानुसार भुगतान करने का आदेश पारित किया गया है। तद्नुसार माननीय पटना उच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन करते हुए कार्यवाई की जा रही है।

परिवादी, श्री गोपाल शंकर सिन्हा, दिनांक–31.01.2013 को सेवानिवृत हुए है। अब वर्त्तमान में माननीय पटना उच्च न्यायालय के उपरोक्त वर्णित आदेशों के आलोक में वर्ष 2011 तक के कार्मिकों का उपादान का भुगतान लगभग किया जा चुका है तथा अगले 2–4माह के अन्तर्गत परिवादी का क्रम प्रभावित होत ही निधि की उपलब्धता होने पर तत्संबंधित भुगतान कर दी जाएगी।’’

अब, जबकि विस्कोमान के सेवानिवृत कर्मियों के सेवांत लाभ के भुगतान के संबंध में माननीय पटना उच्च न्यायालय के विभिन्न मामलों में दिये गये निर्देश के आलोक में विस्कोमान द्वारा सेवानिवृत कर्मियों का भुगतान किया जा रहा है तो ऐसी परिस्थिति में उक्त के संबंध में राज्य आयोग के स्तर से कोई आदेश/निर्देश/अनुशंसा किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। परिवादी अगर चाहें तो इस

संबंध में माननीय पटना उच्च न्यायालय से वांछित अनुतोष हेतु याचना कर सकते है।

राज्य आयोग के स्तर से उक्त के आलोक में प्रसंगाधीन मामले को संचिकास्त किया जाता है।

कार्यालय, आज पारित आदेश के साथ प्रबंध निदेशक, विस्कोमान, पटना के प्रतिवेदन (पृ0–76–55/प0) की प्रति संलग्न कर तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक